

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-1

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.2 (ब्याज उपादान) के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- 1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

- 2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन" उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।
- 3- राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर/ई.एस.डी.एम. पार्क तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।
- 4- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.2 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर ब्याज उपादान प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है:-

प्रस्तर 4.2 ब्याज उपादान

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति , वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

- 5- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को ब्याज उपादान की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 ब्याज उपादान हेतु पात्रता

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के प्रस्तर 4.2 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु निम्न मानकों को पूर्ण करने वाली इकाइयां पात्र होंगी:-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (i) आवेदक इकाई उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों में से एक हो, जिसके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पूंजी निवेश कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों, अथवा
- (ii) ब्याज उपादान, इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (recycling units) को भी अनुमन्य होगा।

2 ब्याज उपादान अवधि

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 07 वर्ष की अवधि, अथवा जैसाकि शासन द्वारा निर्धारित किया जाये, के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य होगा।

3 आच्छादन

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत उद्घोषित "इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग जोन"

4 परिभाषाये

एतद्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

5 ब्याज उपादान का विवरण

- 5.1 ई.एस.डी.एम. उद्योग क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा।
- 5.2 ब्याज उपादान 7 वर्ष अथवा ऋण भुगतान की अवधि, जो भी पहले समाप्त हो, के लिए प्रदान किया जाएगा।
- 5.3 नई इकाई द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था को अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष तक उपादान की धनराशि सीमित होगी तथा इसकी सीमा रू 1 करोड़ प्रतिवर्ष, प्रति इकाई होगी।
- 5.4 ब्याज उपादान का भुगतान सम्बन्धित इकाई को बैंक/वित्तीय संस्था की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

उदाहरणार्थ ई.एस.डी.एम. उद्योग क्षेत्र की एक नई इकाई द्वारा 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर किसी बैंक से रू 10 करोड़ का सावधि ऋण लिये जाने हेतु एक अनुबन्ध किया जाता है। इस धनराशि पर ब्याज राशि रू 70 लाख प्रति वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अनुसार व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि में इकाई रू 50 लाख प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्राप्त करने की पात्र होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 वर्ष तक रू 50 लाख (अथवा वास्तविक 5 प्रतिशत ब्याज) की धनराशि इकाई को उपादान स्वरूप भुगतान की जायेगी तथा शेष रू 20 लाख प्रतिवर्ष की ब्याज धनराशि का दायित्व स्वयं इकाई का रहेगा। तत्पश्चात शेष वर्षों में ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि रू 70 लाख (अथवा वास्तविक दर से आगणित ब्याज राशि) इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5.5 उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी:-

- 5.5.1 नई इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।
- 5.5.2 नई इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।
- 5.5.3 प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि की सीमा नई इकाई के मामले में रू 1.00 करोड़ प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
- 5.6 ब्याज उपादान केवल बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रभारित ब्याज पर अनुमन्य होगा। कोई दण्ड ब्याज अथवा अन्य शुल्क इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होगा।
- 5.7 यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को 'डिफाल्ट' घोषित किया जाता है तो डिफाल्ट की पश्चातवर्ती अवधि हेतु इकाई को ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5.8 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के उपरान्त, निर्दिष्ट अवधि जिसके लिए ब्याज उपादान की मांग की जाती है, यदि किन्हीं कारणवश, उक्त अवधि में 6 माह से अधिक अवधि हेतु इकाई का परिचालन बन्द रहा हो तो उस दशा में ब्याज उपादान की धनराशि उक्त अवधि के लिये अनुमन्य नहीं होगी।
- 5.9 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
- 5.10 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

6 ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया

- 6.1 इकाई द्वारा ब्याज उपादान प्राप्ति हेतु प्रत्येक वर्ष अर्द्धवार्षिक आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से सितम्बर की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 30 दिसम्बर तथा अक्टूबर से मार्च की अवधि हेतु अन्तिम तिथि 30 जून होगी।
- 6.2 आवेदक इकाई द्वारा अनुलग्नक 'अ' पर आवरण पत्र सहित निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-ब पर आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। मिशन निदेशालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- 6.3 मिशन निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये संलग्न दस्तावेजों का सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित विभाग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्यापन का कार्य मिशन निदेशालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता के साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेद / के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में मिशन निदेशालय की संस्तुति अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रेषित की जायेगी, जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।
- 6.5 सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त इकाई को ब्याज उपादान की धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इकाई को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात मिशन निदेशालय द्वारा इकाई को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 6.6 प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को दो सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जायेगा।
- 6.7 प्रत्येक वर्ष ब्याज उपादान की धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय द्वारा प्रस्ताव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को भेजा जायेगा।
- 7 न्यायालय का क्षेत्राधिकार
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।
- 8 व्यय भार
ब्याज उपादान के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुषंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।
- 9 ब्याज उपादान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड
इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-134(1)/78-1-2018 तददिनांक

- उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - 2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
 - 4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 6 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
 - 7 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
 - 8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
 - 9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
 - 10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरी राम)
अनु सचिव।